न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—441/2016/223 (2016/00441)

1. हरिसिंह वल्द गंगासिंह जाति रावत, निवासी गांव भूरियाखेडा कल्ला, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर (मृतक) जरिये वारिसानः—
1/1— श्रीमती पानीदेवी पत्नि स्व0 हरिसिंह,
1/2— लालसिंह पुत्र स्व0 हरिसिंह,
1/3— जगदीशसिंह पुत्र स्व0 हरिसिंह,
1/4— भोजरासिंह पुत्र स्व0 हरिसिंह,
1/5— श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व0 हरिसिंह,
1/6— श्रीमती सायरी पुत्री स्व0 हरिसिंह,
समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम भूरियाखेडा कल्ला, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सोहनसिंह पुत्र गणेशसिंह, जाति रावत,
2. सुखदेवसिंह पुत्र गणेशसिंह, जाति रावत,
3. श्रमती देवी बेवा गणेशसिंह जाति रावत,
   निवासीगण गांव बनारखेडा, ढाल का बाडिया ।
4. श्रीमती संतोष पुत्री गणेशसिंह पत्नि भंवरसिंह, जाति रावत, नि0 झाडका बाडिया, बडकोचरा, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।
5. श्रीमती पतासीदेवी पुत्री गणेशसिंह पत्नि प्रेमसिंह, जाति रावत, निवासी पुनेरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. श्रीमती राधादेवी पुत्री गणेशसिंह, पत्नि भोलसिंह, जाति रावत, नि0 गांव जेताखेडा, पोस्ट देवखेडा, तह0 भीम जिला राजसमंद ।
7. श्रीमती खीमीदेवी पुत्री गणेशसिंह, पत्नि धूलसिंह, जाति रावत, निवासी गांव जेताखेडा, तह0 भीम जिला राजसमंद बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद गणेश वल्द पेमा एवं पेमा वल्द जोरा रावत, नि0 बिहार रतनपुरा, तह0 ब्यावर जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक, तहसीलदार, ब्यावर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर, दिनांक 25.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 81/2014.

उपस्थितः—

1. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील अपीलांटस।
2. श्री प्रदीप यादव, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 6 व 7.
3. रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 व 9

.

निर्णय

दिनांकः— 27.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 ने वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92—ए, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदरन किया कि मौजा भूरियाखेडा तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 765/2 रकबा 3 बीघा, खसरा नंबर 766 रकबा 8 बिस्वा किस्म बीड व खसरा नंबर 767 रकबा 4 बिस्वा किस्म बा—3 भूमिया अवस्थित है । वादग्रस्त आराजी सहित खसरा नंबर 759, 760, 761, 762, 763, 765 के खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज पेमा पुत्र जोरा कौम रावत, निवासी बिहार रतनपुरा थे जिन्होंने विवादित आराजियात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1.12.1977 को वादी को बेचान कर दी तथा कब्जा संभला दिया और खरीद से निरन्तर वादी ही विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है । उक्त बेचान किये जाने के बाद विवादित भूमियों के अलावा अन्य भूमियों का नामांतकरण वादी के हक में हो चुका है तथा विक्रय की गई विवादित भूमि का नामांतकरण के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं हो सका जबकि विवादित भूमि पर अभी भी विक्रेता पेमा पुत्र जोरा का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है जबकि पेमा पुत्र जोरा का स्वर्गवास हो चुका है । दिनांक 15.6.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एकराय होकर वादग्रस्त आराजी पर आये व वादी व उसके परिवारजन को जबरन बेदखल करना चाहा किन्तु वादी को बेदखल नहीं कर सके किन्तु उन्होंने ऐलानियां धमकी दी कि मौका देखकर वादी को बेदखल कर देंगे । इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई । अतः वाद वादी स्वीकार कर बेचाननामा दिनांक 1.12.1977 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज पेमा पुत्र जोरा का नाम हटाया जावे तथा वादी को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.6.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.6.2016 न केवल पत्रावली पर विद्यमान मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत है वरन् विधिक प्रावधानों के भी प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) जा0दी0 तय किये जाने के लिये चल रही थी तो निर्णय पारित किये जाने से पर्वू आवेदन पत्र तय कर मूल बेचाननामा दिनांक 1.12.1977 को रिकार्ड पर लिया जाना व उसे प्रमाणित कराया जाना आवश्य व न्यायसंगत था किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना वादी व वादी के अधिवक्ता को सुने अर्जी ही निर्णित नहीं की व न ही मूल बेचाननामा

व अन्य दस्तावेजात को प्रमाणित कराये जाने व प्रदर्श अंकित कराये जाने के जल्दबाजी में बिना अपीलांट को सुने कैम्प में वाद को निर्णित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों तथा विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। बहस में आगे कथन किया कि राजस्व कैम्पों में केवल मात्र लोक अदालत की भावना से वे ही प्रकरण तय किये जा सकते है जो कि आपसी सहमति से हो, राजस्व कैम्पों में न तो तनकियात कायम की जाती है एवं न ही साक्ष्य ली जाती है एवं न ही बहस सुनी जाती है तथा न ही गुणावगुण पर प्रकरण तय किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने राजस्व कैम्प में वादी के अधिवक्ता को सुने बिना वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा न तो प्रतिवाद पेश किया एवं न ही कोई साक्ष्य एवं पेश की । प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पूर्वज ने विवादित आराजियात वादी को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था किन्तु उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण ही प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का विरोध नहीं किया गया है जिससे भी वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य था । अधी0न्याया0 ने वादी का वाद इस आधार पर खारिज किया कि संवत् 2041 की वर्किंग जमाबंदी में वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है जबकि रिकार्ड पर संवत् 2041 की जमाबंदी ही पेश नहीं की गई है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर वादी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना वाद खारिज किया जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 6 व 7 के अधिवक्ता रेस्पो0 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24.2.2016 को अधी0न्याया0 में वादीगण/अपीलांटस ने आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) पेश किया । तत्पश्चात् मिसल वास्ते जवाब व बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 15.3.2016 नियत की गई । इसके बाद दो पेशियों तक पत्रावली में तारीख तब्दील की गई एवं दिनांक 25.6.2016 को पत्रावली कैम्प बडकाचरा में रखी जाकर अधी0न्याया0 इसी दिन वाद को खारिज करने के आदेश पारित किये है। हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस के इस कथन से सहमत है कि अधी0न्याया0 में विचाराधीन प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 (3) पर बहस सुनकर सर्वप्रथम उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित करने के उपरांत प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्राप्त कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प में रखकर बिना प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त हुए तथा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वादी का वाद खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है।

7. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 25.6.2016 निरस्त की जाती है तथा पत्रावली

अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये विवेचन के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 27.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर